



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 233 राँची, मंगलवार, 29 वैशाख, 1948 (श०)
19 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

29 जनवरी, 2024

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहतगर्भवती महिलाओं को मातृ किटवितरणयोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

जापांक-05/म.स./रा.यो.-मातृ किट-237/2023-240--किशोरियों एवं महिलाओं को सुदृढ़पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराकर एवं इनमें एतदसंबंधी अच्छी आदतें प्रबुद्ध करने सहित महिलाओं से संबंधित उत्कृष्ट सामाजिक रिवाज प्रवृत्त करने ताकि किशोरियों एवं महिलाओं के लिए एक सशक्त एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण कर उनका कल्याण एवं सशक्ती करण सुनिश्चित किया जा सके, के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की परिकल्पना की गई है ।

2. इसके तहत आँगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विभिन्न सामग्रियों के पैकेज रूपी मातृ किट उपलब्ध कराना सन्निहित है।

3. विभागीय अपर सचिव की अध्यक्षता में महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहे पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर गर्भवती महिलाओं, जच्चा-बच्चा एवं किशोरियों की स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छतापूर्ण जीवन-शैली हेतु आवश्यकताओं के संदर्भ में एक प्रतिवेदन प्राप्त की गई। समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विमर्श कर गोदभराई उत्सव का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं को मातृ किट वितरित करने की अनुशंसा की गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं तथा जन्म लेने वाले बच्चों के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुनिश्चित करने वाले सामग्रियाँ सन्निहित हैं।

उपर्युक्त अनुशंसा तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संस्थागत प्रसव उपरांत केवल बालिका शिशु के जन्म पर वितरण किये जाने वाले बेबी केयर किट योजना का विभाग स्तर पर समीक्षा की गई एवं उक्त उपरांत मातृ किट वितरण योजना के कार्यान्वयन का प्रारूपण किया गया। प्रस्ताव में गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारणकाल में मातृ किट का वितरण सन्निहित है जिससे बालिका अथवा बालक शिशु दोनों शिशु लाभान्वित हो सकेंगे।

4. सम्यक् विचारोपरांत राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मातृ किट वितरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना निम्नवत् कार्यान्वित की जायेगी:-

i. महिलाओं के गर्भधारण काल में जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दो ऐसे पहलू हैं जिसका विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आदतों को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को उनके गर्भधारण काल में मातृ किट का वितरण किया जायेगा। महिलाओं को मातृ किट उनके प्रथम दो गर्भधारण पर वितरित किया जायेगा तथापि दो से अधिक बच्चों वाले लाभार्थी को इस किट का वितरण नहीं किया जायेगा।

ii. आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिपक्ष आयोजित होनेवाले समुदाय आधारित कार्यक्रम में गोदभराई कार्यक्रम के आयोजन के दौरान इन महिलाओं को मातृ किट वितरित किया जायेगा। लाभार्थियों के मध्य इन किट्स का वितरण जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने का प्रयास किया जायेगा।

iii. उपर्युक्त मातृ किट में सामग्रियाँ निम्नवत् सन्निहित होंगे:-

Sl.	Items	No. of Items
1.	Anti Mosquito Net	01 Piece
2.	Cotton Saree with Blouse & Petticoat	01 set
3.	Bedsheet with one pillow cover	01 Piece
4.	Cotton Towel	01 Piece
5.	Tooth Paste	01 Tube

6.	Tooth Brush & Tongue Cleaner	01 Piece each
7.	Plastic Bucket and Plastic Mug	01 Piece each
8.	Coconut oil	01 Bottle/Unit
9.	Plastic Comb	01 Piece
10.	Nail Cutter	01 Piece
11.	Bathing soap bar	01 Piece
12.	Washing Powder	01 Packet/Unit
13.	Cotton Roll	01 Piece
14.	Kit Bag	01 Piece

iv. उपर्युक्त सामग्रियों के न्यूनतम गुणधर्मविशिष्टता निम्नवत् होंगे-

Sl.	Items	Minimum Specification	
1.	Anti Mosquito Net	White in color, Made of Nylon, 6.5 ft.*4 ft.*4.5 ft. (L*B*H) in Dimension, Flame retardant, Bordered at bottom.	
2.	Cotton Saree with Blouse	Dimensions	Saree- 5.40*1.15 meter (excluding Blouse piece) with border length 5.40 meter. Pallu length- 68 cm.
			Blouse Piece- 0.90*1.15 meter,
			Petticoat- 38 inch in Length +2 inch folding in lower side ; 36 inch of waist size with fasten fabric belt and 72 inch in size for lower peripheral.
		Fabric	Cotton
3.	Bedsheet with one pillow cover	Color	Multi color (color of blouse & petticoat is matching with base color of saree)
4.	Cotton Towel	Cotton, 1.50m * 0.75m in Dimension, colored.	
5.	Tooth Paste	100gm in weight.	

6.	Tooth Brush & Tounge Cleaner	Tooth Brush- Adult size (150), super soft type, of 300 filaments. Tounge Cleaner- of stainless steel, flexible, curved shape.
7.	Plastic Bucket and Plastic Mug	Plastic Bucket- Bucket with Lid & handle, made of Colored/Natural HDPE with HDPE grade 45 MA, made of Food Grade material, 1400gm in wight in total, 40L in capacity, round cylinder viewing from top. Plastic Mug- made of Colored/Natural HDPE, made of Food Grade material, 75-100 gm in weight, 1000ml in capacity, round cylinder.
8.	Coconut oil	200 mL in volume, Pure edible grade, 100% coconut oil, consistent composition & viscosity, packed in food grade container.
9.	Plastic Comb	Made of plastic, 40gm in weight, 20cm*5cm in dimension, Large size, Fine teeth type.
10.	Nail Cutter	Of stainless steel, 40-50 gm in weight, 8 cm in dimension, Curved blades for versatility, Sharp cutting edges, Fish scales patterns File nail smooth and glossy, Nail Clippers handle non-slip.
11.	Bathing soap bar	100 gm in weight, For all type of skin, Conforming to Indian Standard IS 13498-Latest, Having fragrance, well packed.
12.	Washing Powder 1 Kg	1 kg in weight, Of IS 4955 : latest, well packed.
13.	Cotton Roll	100 gm in weight, having drug license, 12 mm in thickness & 38 mm in width.
14.	Kit bag	with zip closure, 20 inch*14 inch*6 inch in dimension, of saft rexine with matte finish, 0.45 mm rexine thickness, Handle strap of rexine attached. Pink in color.

(अभियुक्ति:- GeM पर प्रदर्शित इन सामग्रियों के मुख्य विशिष्टत या आधारित)

प्राप्ति हेतु उक्त न्युनतम गुणवत्ता के अतिर के आवश्यक तकनीकी गुणवत्ता का निर्धारण क्रेता द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत किया जा सकेगा।

v. सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी का स्वयं/जिन पर वे आश्रित हैं, का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं होना अथवा इन नियोजन कर्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणपत्र लाभ प्रदान करने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र को समर्पित किया जायेगा।

vi. एतदसंबंधी सेवाएँ प्राप्त करने वाले महिलाओं का पंजीकरण वैध अभिलेखों (UIDAI-आधार को प्राथमिकता) के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। पंजीकरण के क्रम में अभिलेख की प्रतिलाभार्थी से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्र में संधारित की जायेगी।

vii. आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा एतदसामग्रियों के वितरण के संदर्भ में स्टॉक पंजी, वास्तविक लाभार्थियों की संख्या एवं उन्हें प्रदाय सामग्री संबंधी विस्तृत विवरणी प्रदर्शित करती पंजी अद्यतन रखी जायेगी।

viii. एतदक्रम एवं आपूर्ति प्राप्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया नियमन के अनुपालन में पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। यद्यपि अंतिम दर एत दक्रम एवं आपूर्ति प्रक्रिया संबंधी विधिवत्न्यूनतम निविदा दर पर आधारित होगा।

क्रम एवं आपूर्ति संबंधी कार्रवाई सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्रय प्लेट फॉर्म पर खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित मापदंडों के अनुपालन में सम्पादित कराई जायेगी।

5. योजना का Third Party Inspection/Evaluation एवं तत् आलोक में आवश्यक कार्रवाई निम्न कार्ययोजना के अनुरूप की जायेगी:-

i. योजना कार्यान्वयन के तहत्लाभूकों के मध्य मातृ किट वितरण प्रारंभ होने के एक वर्ष के उपरांत Third Party Inspection/Evaluation कराई जायेगी।

ii. उपर्युक्त हेतु संस्था (ओं) का चयन निविदा के माध्यम से तत्समय प्रवृत्तराज्यादेशों/नियमों के दृष्टिगत किया जायेगा।

iii. एतद् Inspection/Evaluation एवं तत्के Outcome/Feedback प्रतिवेदनपूर्ण कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराने इत्यादि संबंधी कर्रवाई Inspection/Evaluation संबंधी आदेश निर्गमण की तिथि के अधिकतम छह माह में सम्पादित करा ली जायेगी।

iv. उपर्युक्त निमित्त निविदा आधारित न्यूनतम निविदा मूल्य के आधार पर आकलित व्यय के आलोक में प्रशासी विभाग योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय अधीन समुचित बजटीय उपबंध प्राप्त कर व्यय करायेगा।

v. Third Party Inspection/Evaluation उपरांत प्राप्त Outcome/Feedback के आधार पर गर्भवती महिलाओं को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से स-समय समुचित निर्णय लेते योजना कार्यान्वयन करायेगा।

vi. एतद् Inspection/Evaluation के Outcome/Feedback/Data etc. पर पूर्णतः प्रशासी विभाग का सत्त्वाधिकार होगा।

6. उपर्युक्त मातृ किट के सामग्रियाँ के क्रय एवं आपूर्ति पर प्रतिकिट निम्नवत् व्यय अनुमानित है तथापि अंतिम दर एत दक्रम एवं आपूर्ति प्रक्रिया संबंधी विधिवत्न्यूनतम निविदा दर पर आधारित होगा:-

Sl.	Items (for above mentioned quantity)	Tentative Cost (In Rs.)
1.	Anti Mosquito Net	250
2.	Cotton Saree with Blouse	500
3.	Bedsheet with one pillow cover	200
4.	Cotton Towel	50
5.	Tooth Paste	30
6.	Tooth Brush & Tongue Cleaner	20
7.	Plastic Bucket and Plastic Mug	150
8.	Coconut oil	70
9.	Plastic Comb	10
10.	Nail Cutter	20
11.	Bathing soap bar	20
12.	Washing Powder	50
13.	Cotton Roll	30
14.	Kit bag	100
Total		1500

7. लाभार्थियों को मातृकिट उपलब्ध कराने पर प्रतिलाभक प्रतिकिडू.-1500.00 का व्यय अनुमानित है। राज्यान्तर्गत 6.00 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करने के अनुमान के आधार पर योजना कार्यान्वयन पर प्रतिवर्ष रु०-9000.00 लाख का व्यय आकलित है। Third Party Inspection/Evaluation के उपरांत एतद्व्यय में वृद्धिसंभव है।

चालू वि०व०-2023-24 के अन्तिम तिमाही में योजना कार्यान्वयन अनुमानित है अतएव चालू वि०व०में रु०-2250.00 लाख का व्यय आकलित है।

8. वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत्त्राज्य मद में TSP अधीन रु०-3941.60 लाख एवं OSP अधीन रु०-3638.40 लाख अर्थात् कुल रु०-7580.00 लाख बजट उपबंध प्राप्त है जिसके तहत योजना कार्यान्वित कराई जायेगी।

9. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु राशि राज्यमद के निम्न शीर्ष:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BA-महिला एवं किशोरी कल्याण योजना;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष-BA- महिला एवं किशोरी कल्याण योजना;

- के उपयुक्त शीर्ष/इकाईयों अधीन विकलनीय होगी।

10. एतद् संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

11. एतद् प र राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.01.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल),

सरकार के प्रधान सचिव
